पांचवीं वार्षिक रिपोर्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

(अप्रैल 1, 2009 से मार्च 31, 2010)

राज्य सूचना आयोग
हिमाचल प्रदेश

कमरा न0 222
आर्मजडेल भवन
हि0प्र0 सचिवालय
शिमला–171002

दूरभाष 0177–2621904
टैलिफैक्स 0177–2621529
ई मेल– SCIC-hp@nic.in

विषय सूची

संक्षिप्त आंकडे
(i-v)

अध्याय संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
	अध्याय	
1.	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा इसके अन्तर्गत तैयार किए गए नियम	1—7
2.	हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग की भूमिका तथा उत्तरदायित्व	8—14
3.	अधिनियम का कार्यान्वयन (हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आवेदनों का निपटान)	15—24
4.	अधिनियम का कार्यान्वयन (हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग द्वारा अपीलें तथा शिकायतों का निपटान)	25—31
5.	पिछले पांच वर्षों के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन	32—37
6.	अभिमत एवं संस्तुतियां	38—44

हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग
वार्षिक रिपोर्ट– संक्षिप्त आंकडे
(1.04.2009 से 31.3.2010)

(क)	सार्वजनिक प्राधिकरणों की संख्या, जिन्होंने राज्य सूचना आयोग को वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की		134
(ख)	1.4.2009 से 31.3.2010 तक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा दायर किए गए आवेदनों की संख्या		43,835
(ग)	सार्वजनिक प्राधिकरणों के सार्वजनिक सूचना अधिकारियों द्वारा अस्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या		442
(घ)	जन सूचना अधिकारियों द्वारा एकत्रित शुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क की कुल राशि		10,89,504
(ञ)	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अन्तर्गत वर्ष के दौरान प्रथम अपीलों की दायर करने की संख्या		706
(च)	वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005		
	(i)	की धारा 19 के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपीलों की दायर करने की संख्या	270
	(ii)	दिनांक 1.4.2009 को आयोग में लम्बित अपीलें	23
	(iii)	कुल अपीलें	293
(छ)	वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा निर्णीत द्वितीय अपीलों की संख्या		276
(ज)	(i)	वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अन्तर्गत दायर की गई शिकायतों की संख्या	445
	(ii)	दिनांक 1.4.2009 को आयोग में लम्बित शिकायतें	17
	(iii)	कुल शिकायतें	462
(झ)	वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा निर्णित शिकायतों की संख्या		418
(ञ)	(i)	मामलों की संख्या जिनमें आयोग ने जन सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाया	9
	(ii)	मामलों की संख्या जिनमें आयोग द्वारा अपीलकर्ता/ शिकायतकर्ता को मुआवजा दिलवाया गया	42

हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के वर्ष 2009–10 के दौरान समेकित मामलों का विवरण

	अपीलें	शिकायतें	कुल
1.4.2009 को लम्बित	23	17	40
वर्ष के दौरान दायर	270	445	715
कुल	293	462	755
निर्णित	276	418	694
31.3.2010 को लम्बित	17	44	61
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्णित मामले			
	अपीलें	शिकायतें	कुल
1.4.2009 को लम्बित	8	13	21
वर्ष के दौरान दायर	131	273	404
कुल	139	286	425
निर्णित	129	265	394
31.3.2010 को लम्बित	10	21	31
राज्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्णित मामले			
	अपीलें	शिकायतें	कुल
1.4.2009 को लम्बित	15	4	19
वर्ष के दौरान दायर	139	172	311
कुल	154	176	330
निर्णित	147	153	300
31.3.2010 को लम्बित	7	23	30

(iii)

राज्य सूचना आयोग में प्राप्त, निर्णित तथा लम्बित अपीलों का ब्यौरा
(1.4.2009 से 31.3.2010 तक)

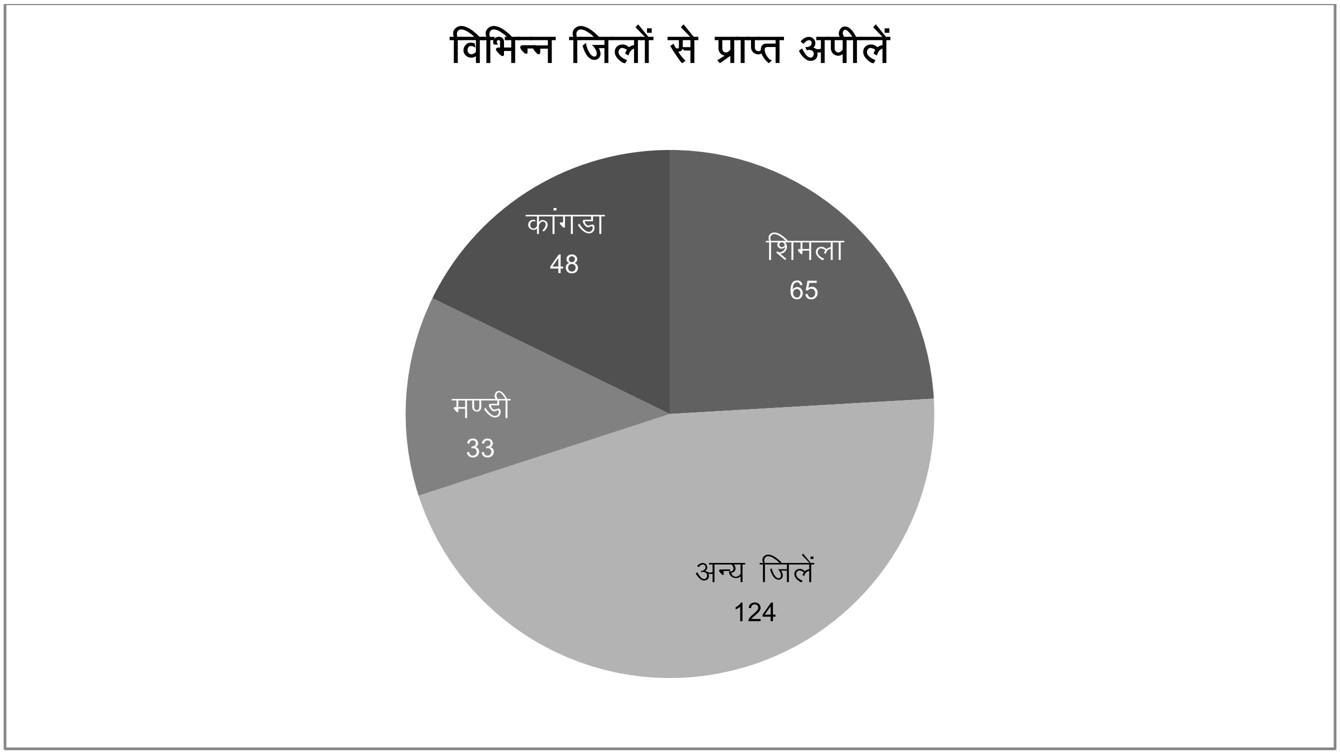

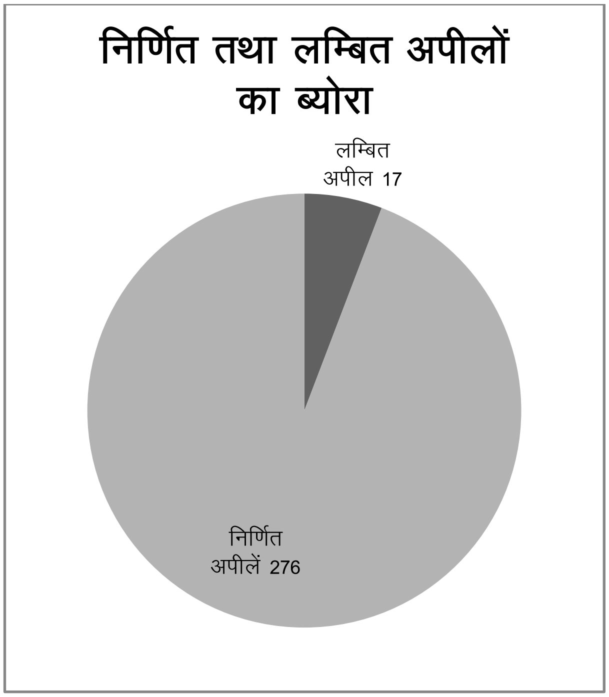

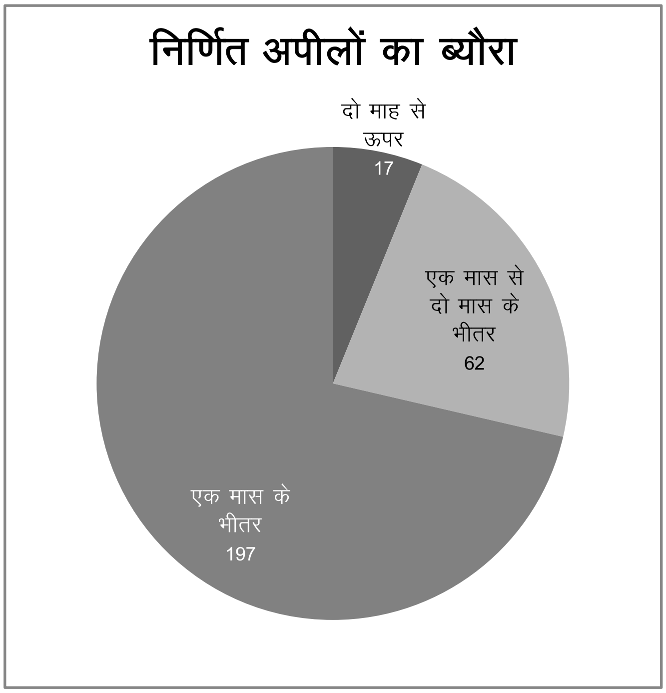

राज्य सूचना आयोग में प्राप्त, निर्णित तथा लम्बित शिकायतों का ब्यौरा
(1.4.2009 से 31.3.2010 तक)

विभिन्न जिलों से प्राप्त शिकायतें

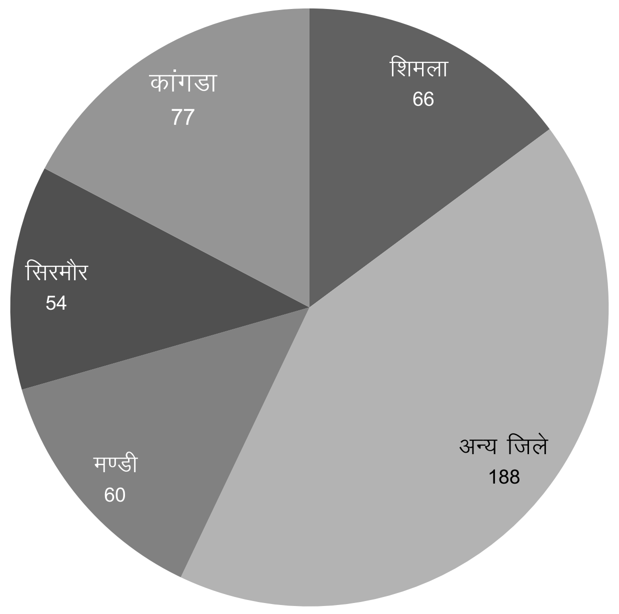

निर्णित तथा लम्बित शिकायतों का ब्यौरा

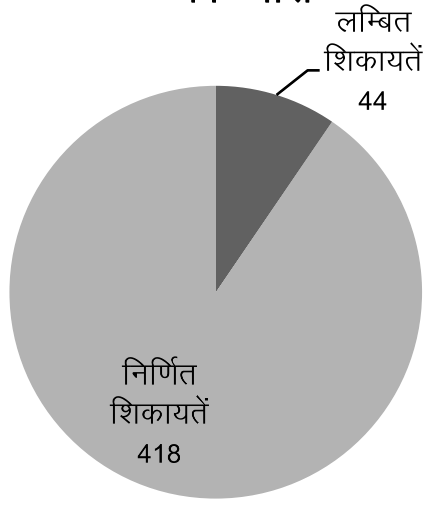

निर्णित शिकायतों का ब्यौरा

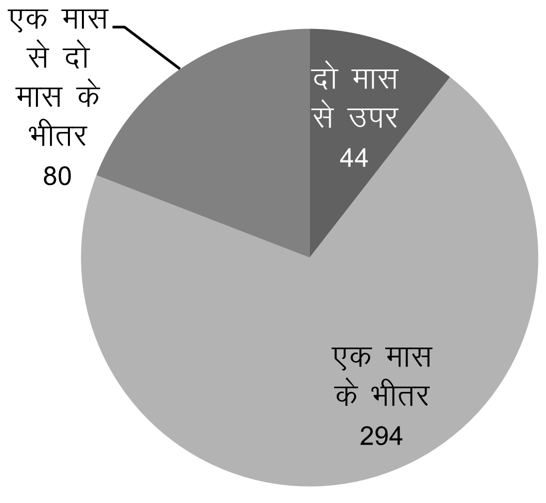

(v)

राज्य सूचना आयोग में प्राप्त आवेदनों/प्रतिवेदनों का ब्यौरा
(1.4.2009 से 31.3.2010 तक)

तीन मण्डलों तथा राज्य के बाहर से प्राप्त आवेदनों की संख्या

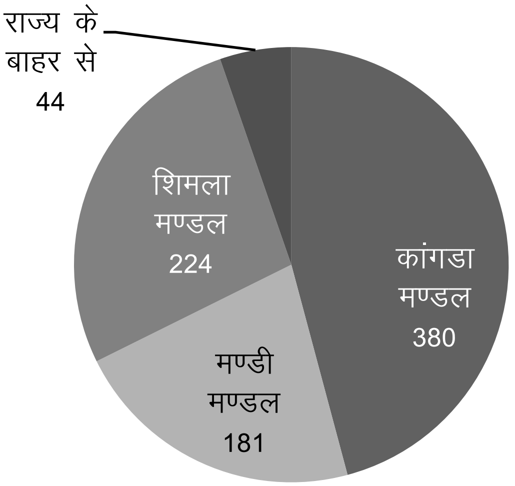

शिमला मण्डल के चार जिलों से प्राप्त आवेदनों की संख्या

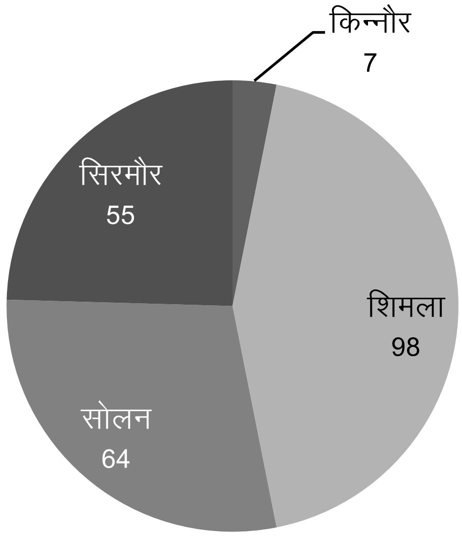

मण्डी मण्डल के पांच जिलों से प्राप्त आवेदनों की संख्या

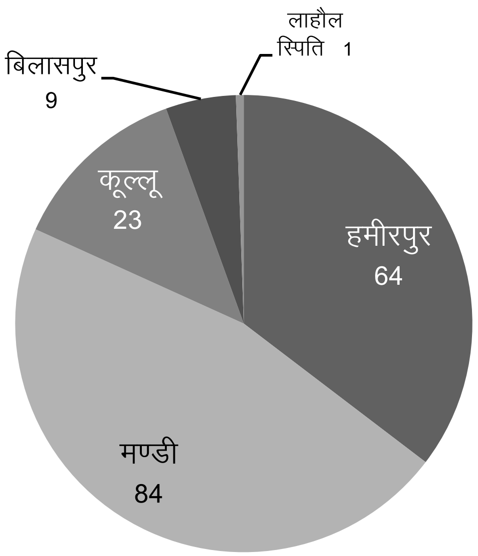

कांगड़ा मण्डल के तीन जिलों से प्राप्त आवेदनों की संख्या

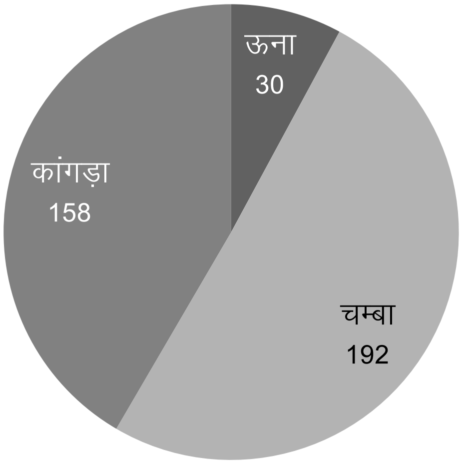

अध्याय –1

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा इसके अन्तर्गत तैयार किए गए नियम

भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, 15 जून 2005 को अधिसूचित किया गया । यह अधिनियम 12 अक्तूबर 2005 को लागू हुआ लेकिन इस अधिनियम के कुछ प्रावधान तुरन्त लागू हो गए थे । इन उपबन्धों के अन्तर्गत सूचना आयोगों का गठन करना, जन सूचना अधिकारियों/ सहायक जन सूचना अधिकारियों को नामित करना तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमों को बनाया जाना था । इस अधिनियम का एक व्यापक कार्यक्षेत्र है और इसमें सभी निकाय शामिल है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के समस्त विभाग एवं उपक्रम, पंचायती राज संस्थाएं, शहरी स्थानीय निकाय, सरकार द्वारा गठित, शासित, स्थापित, नियन्त्रित अथवा वितपोषित अन्य निकाय जिनमें गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं इस अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। सभी भारतीय नागरिक इस अधिनियम के अन्तर्गत व्यापक तथा विस्तृत सूचना प्राप्त कर सकते हैं जिसमें केवल बहुत कम ऐसी सूचनाएं हैं जिन्हें न देने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है।

2 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं निम्न है :–

(i) कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से बिना कोई कारण बताए कोई भी सूचना मांग सकता है ।

(ii) मांगी गई सूचना जन सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदान करनी होगी ।

(iii) अधिनियम सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डो, स्थानीय शहरी निकायों,पंचायती राज संस्थाओं तथा सरकार द्वारा स्थापित,गठित,नियंत्रित अथवा वित्तपोषित निकायों पर, लागू होता है जिनमें गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं।

(iv) जन सूचना अधिकारी आवेदकों को सूचना प्रदान करते अथवा आवेदनों को अस्वीकृत करते हुए सकारण पत्र व्यवहार करेंगें । इसी प्रकार अपीलीय अधिकारियों को भी सकारण एवं स्वतः स्पष्ट आदेश पारित किए जाने अपेक्षित होंगें ।

3 अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरणों को निम्न कर्त्तव्य और दायित्व विदित करता है :—

(i) अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अनुरूप सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा उनके कार्यों सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर स्वेच्छा से सूचना का प्रकटीकरण करना होगा जिसे हर वर्ष अद्यतन किया जाना अपेक्षित होगा ।

(ii) सभी सरकारी विभाग/संस्थान सूचना देने के प्रयोजन से अपेक्षित संख्या में जन सूचना अधिकारियों को नामित करेंगें तथा उपमण्डल स्तर पर आवेदन प्राप्त करने तथा उन्हें जन सूचना अधिकारियों को अग्रेषित करने हेतु सहायक जन सूचना अधिकारियों को नामित करेंगे ।

(iii) सार्वजनिक प्राधिकरणों को अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारियों के विरूद्ध की गई प्रथम अपीलों पर विचार करने एवं निर्णय देने हेतु अपीलीय अधिकारी नामित करने होंगे ।

4 अधिनियम में 'सूचना', 'अभिलेखों' और 'सूचना का अधिकार' की परिभाषाऐं निम्न हैं :—

(i) ''सूचना'' से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई—मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक,संविदा,रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माडल, आंकडों संबधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से सम्बन्धित ऐसी सूचना सहित,जिस का तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है ।

(ii) ''अभिलेखों'' में निम्नलिखित सम्मिलित है —

(क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल :

(ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म,माइक्रोफिशे और प्रतिकृति प्रतिः

(ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरूत्पादन (चाहे बर्धित रूप में हो यह न हो) : और

(घ) किसी कम्पयूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्रीः

(iii) ''सूचना का अधिकार'' से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का जो किसी लोक प्रधिकारी द्वारा या उसके नियन्त्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है :

(i) कृति दस्तावेजों,अभिलेखों का निरीक्षण :

(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना :

(iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना :

(iv) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्ानिक रीति में यह प्रिंटआउट के माध्यम से सूचना को जहां ऐसी सूचना किसी कम्पयूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है अभिप्राप्त करना।

5 सूचना का अधिकार अधिनियम में लोक प्राधिकारी की परिभाषा निम्न है :

''लोक प्राधिकारी'' से :–

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन :

(ख) संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा :

(ग) राज्य विधान–मण्डल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा :

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है : और इसके अर्न्तगत –

(i) कोई ऐसा निकाय है जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन, नियन्त्रणाधीन, या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है :

(ii) कोई ऐसा गैर–सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है ।

6. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 22 के उपबंध, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

7. यह अधिनियम, धारा 8 और 9 के अन्तर्गत जिन सूचनाओं को प्रकट किए जाने से छूट प्रदान करता है, उनका संक्षिप्त रूप निम्न प्रकार हैः–

– सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से सम्बन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्धीपन होता हो ;

– सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती है ;

– सूचना, जिसके प्रकटन से संसद् या किसी राज्य के विधानमण्डल के विशेषाधिकार के भंग का कारण होगा ;

– सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक सम्पदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी तीसरी पार्टी की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह मत हो कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है;

– किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह मत हो कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है ;

– किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना ;

– सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा ;

– सूचना, जिससे अपराधों के अन्वेषण, अपराधियों के पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी ;

– मन्त्रिमण्डल के कागजपत्र, जिसमें मन्त्रिपरिषद्, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित है ;

– सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से सम्बन्ध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकान्तता पर अनावश्यक अतिक्रमण करता है ।

8 इस अधिनियम की धारा 27 और 28 के उपबन्धों के प्रभावशाली तथा सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु नियम बनाने के लिए विनियोजित सरकारों तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी को शक्तियां प्रदत्त है। हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006, राज्य सरकार द्वारा 21 जनवरी, 2006 को अधिसूचित किए गए। ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त हो गए हैं। परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश विधानसभा तथा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत नियमों को अधिसूचित किया गया है । हिमाचल विधानसभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क व लागत) नियम, 2006, 15 जून 2006 को तथा हिमाचल प्रदेश उच्चन्यायालय सूचना का अधिकार नियम, 2005, 30 नवम्बर, 2005 को अधिसूचित किए गए। हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम,2006, राज्य सरकार द्वारा 21 जनवरी,2006 को अधिसूचित किए गए।

9 इन नियमों की प्रमुख विशेषताएं निम्न है :–

(i) कोई भी व्यक्ति जो सूचना प्राप्त करना अथवा रिकार्ड का निरीक्षण करना चाहता है को निर्धारित शुल्क की अदायगी के प्रमाण सहित सम्बन्धित प्राधिकरण के जन सूचना अधिकारी/ सहायक जन सूचना अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा।

(ii) गरीबी रेखा से नीचे (बी0पी0एल0) श्रेणी के आवेदकों से सूचना प्राप्त करने अथवा किसी अभिलेख के निरीक्षण के लिए किसी भी शुल्क की अदायगी अपेक्षित नहीं है ।

(iii) प्रत्येक विषय तथा प्रत्येक वर्ष से सम्बन्धित सूचना लेने के लिए अलग – अलग आवेदन पत्र दायर किया जाना अपेक्षित है ।

(iv) आवेदक को जारी की गई सूचना के प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक का नाम दर्शाते हुए तथा जन सूचना अधिकारी की मोहर, हस्ताक्षर तथा तिथि सहित, विधिवत् प्रमाणिकृत किया जाएगा ।

(v) दस्तावेजों को प्रदान करने एवं उनके निरीक्षण के हेतु लिए जानेवाले शुल्क की दर नीचे दी गई है :–

क्रम संख्या	सूचना का विवरण	मूल्य / शुल्क रूपयों में
1	आवेदन के साथ शुल्क	10 / –रू0 प्रति आवेदन
2	जहां सूचना समूल्य प्रकाशन के रूप में उपलब्ध हो	प्रकाशित मूल्य पर
3	समूल्य प्रकाशनों के अलावा	2 / –रू0 प्रति पृष्ठ (ए–4 आकार अथवा कम के लिए) बडे आकार के पृष्ठ के मामले में, वास्तविक लागत अथवा प्रति पृष्ठ 20 / – रू0 जो भी अधिक हो ।
4	जहां सूचना इलैक्ट्रनिक के रूप में उपलब्ध हो और इलैक्ट्रनिक रूप यथा फ्लॉपी, सीडी आदि के रूप में प्रदान की जानी हो	50 / –रू0 प्रति फ्लॉपी 100 / –रू0 प्रति सीडी
5	रिकार्ड / दस्तावेज के निरीक्षण हेतु	20 / – रू0 प्रति 30 मिनट या उसके अंश के लिए

(vi) निर्धारित शुल्क की अदायगी डिमांड ड्राफ्ट या इण्डियन पोस्टल आर्डर द्वारा सम्बन्धित सरकारी प्रधिकरण को की जा सकती है अथवा 0070– ओ0ए0एस0,60 –ओ0एस, 800– ओ0 आर0 11–सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत प्राप्तियां लेखा शीर्ष में सरकारी खजाने में जमा करवाया जा सकता है ।

10 हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 के तहत नामित अपीलीय अधिकारी तथा हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में अपील दायर करने की प्रक्रिया

का भी उल्लेख किया गया है । इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार अपील के ज्ञापन में अपीलकर्ता का नाम व पता, उस जन सूचना अधिकारी का नाम व पता जिसके निर्णय के विरूद्ध अपील की जा रही हो तथा आदेश का विवरण जिसके विरूद्ध अपील की जा रही हो, दिया जाना होगा। अपीलकर्ता को अपील की दो प्रतियां दायर करनी होगी । अपील ज्ञापन में अपील के सम्बन्ध मे संक्षेप में तथ्य दिए जाने होगें। आवेदन का जवाब न मिलने की स्थिति में आवेदन का विवरण, संख्या व तिथि, राज्य जन सूचना अधिकारी का नाम व पता जिसे आवेदन दिया गया था का उल्लेख अपीलकर्ता द्वारा किया जाना होगा । अपीलकर्ता अपनी याचना अथवा राहत का उल्लेख तथा याचना व राहत के आधार भी अपील ज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख करेगा।

11 हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 के तहत नामित अपीलीय अधिकारी या हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग को यह भी शक्ति होगी कि यदि सुनवाई की तिथि पर अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप में उपस्थित नहों होता है तो वे गुण दोष के आधार पर अपील पर एक तरफा निर्णय भी दे सकतें है । अपीलकर्ता किसी ऐसे आधार पर न तो कोई आपत्ति उठाएगा और न ही उसकी आपत्ति सुनी जाएगी, जिसका उल्लेख उस द्वारा अपील अधिकारी/आयोग को प्रस्तुत अपील ज्ञापन में न किया गया हो । तथापि नामित अपील अधिकारी/ आयोग को अपील पर निर्णय लेते समय उन्हीं आधारों तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं जिनका उल्लेख अपील में किया गया हो ।

12 हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 के तहत राज्य सूचना आयोग को अपनी दिन–प्रतिदिन की कार्यवाही के सम्बन्ध मे विनियम बनाने की शक्तियां भी प्रदत्त है। परिणामस्वरूप, हिमाचल प्रदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग (प्रबन्धन) विनियम, 2008 बनाए गए है जो 1 सितम्बर, 2008 से लागू हो गए थे ।

अध्याय– 2

हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग की भूमिका तथा उत्तरदायित्व

हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा 4 फरवरी, 2006 की अधिसूचना द्वारा किया गया। आयोग ने शिमला स्थित मुख्यालय में 1 मार्च 2006 से कार्य करना आरम्भ किया। सचिवालय प्रशासन ने 1 मार्च 2006 से आयोग को सचिवीय स्टाफ और अन्य सुविधाएं प्रदान की हैं । आयोग ने एक सदस्यीय निकाय के रूप में 1 जुलाई, 2007 तक कार्य किया और तद्पश्चात श्री एस.एस.परमार ने, जो हिमाचल प्रदेश सरकार से मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत हुए थे, 2 जुलाई, 2007 को राज्य सूचना आयुक्त का पद ग्रहण किया। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सचिवालय में स्थान उपलब्ध करवाया गया तथा कार्यालय के स्टाफ के लिए गैर सरकारी मकान किराए पर लिया गया। आयोग का कार्य वर्ष 2009–10 के दौरान इन्ही स्थानों से जारी रहा।

2 आयोग को वित्त वर्ष 2009–10 में मु0 73,01,000/– का बजट शीर्ष 2070–00–118–01–SOON(NP) के अन्तर्गत खर्चों को पूरा करने के लिए प्रदान किया गया । स्वीकृत बजट का विवरण निम्न प्रकार से है :–

लेखा शीर्ष	उपशीर्ष	बजट	व्यय
01	वेतन	59,07,000	58,77,106
03	यात्रा व्यय	1,30,000	1,28,556
05	कार्यालय व्यय	3,44,000	3,43,684
06	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	79,000	78,999
07	किराया, दर एवं उपकर	2,33,000	2,32,368
10	आतिथ्य/सत्कार	10,000	575
12	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	35,000	34,000

20	अन्य प्रभार	1,13,000	1,12,259
21	रखरखाव	5,000	--------
30	मोटर वाहन	4,45,000	4,44,954
	कुल	**73,01,000**	**72,52,501**

3 हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के उद्धेश्य से राज्य सरकार द्वारा 32 पद सृजित किए गए । इन पदों का विवरण इस प्रकार हैं :–

कमांक	पदनाम	पद का वेतनमान 1–1–2006 से सशोधित	सृजित पदों की संख्या
1	मुख्य सूचना आयुक्त	90,000 / –	1
2	राज्य सूचना आयुक्त	80,000 / –	1
3	सचिव (एच0ए0एस0 / आई0ए0एस0)	अपने वेतनमान में	1
4	सिस्टम एनालिस्ट	10300–34800 + रू0 5400	1
5	रीडर कम एहलमद	10300–34800 + रू0 5000	2
6	अनुभाग अधिकारी	10300–34800 + रू0 5000	1
7	वरिष्ठ सहायक	10300–34800 + रू0 3800	2
8	लिपिक कम कम्पयूटर आपरेटर	5910–20200 + रू0 1900	4
9	निजी सचिव	10300–34800 + रू0 5000	2
10	निजी सहायक	10300–34800 + रू0 4200	4
11	कनिष्ठ वेतनमान स्टेनोग्राफर	5910–20200 + रू0 2800	1
12	चालक	5910–20200 + रू0 2000	3
13	प्रौसेस सर्वर	4900–10680 + रू0 1400	1
14	चौकीदार	4900–10680 + रू0 1300	1
15	सेवादार	4900–10680 + रू0 1300	5
16	फराश कम माली	4900–10680 + रू0 1300	1
17	सफाई कर्मचारी	4900–10680 + रू0 1300	1
	कुल		32

4. राज्य सूचना आयोग की शक्तियाँ और कार्य निम्न प्रकार है :—

I. अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत जांच

(i) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य सूचना आयोग का यह कर्त्तव्य होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जाँच करें—

क जो, यथास्थिति, किसी लोक सूचना अधिकारी को इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है या उसके आवेदन को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है।

ख जिसे इस अधिनियम के अधीन जानकारी देने से इन्कार कर दिया गया है,

ग जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय— सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुँच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है,

ध जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है, जो वह अनुचित समझता है,

ङ जो यह विश्वास करता है कि उसे अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है, और

च इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुँच प्राप्त करने के लिए संबधित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में।

(ii) राज्य सूचना आयोग को इस धारा के अधीन किसी मामले में जाँच करते समय वही शक्तियाँ प्राप्त होगी, जो निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थातः—

क व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित कराना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिऐ उनको विवश करना,

ख दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना,

ग शपथ पत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना,

घ किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियाँ मंगाना,

ङ साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना, और

(iii) आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जाँच करने के दौरान ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा जिस पर यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है और उसके द्वारा ऐसे किसी अभिलेख को किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा।

II. अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत अपीलें:

(i) प्रथम अपीलीय अधिकारी के विनिश्य के विरूद्ध दूसरी अपील नब्बे दिन के भीतर राज्य सूचना आयोग को होगी, परन्तु राज्य लोक सूचना आयोग 90 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात भी अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

(ii) यदि विनिश्य, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, तीसरी पार्टी की सूचना से संबंधित है तो राज्य सूचना आयोग उस तीसरी पार्टी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

(iii) अपील सम्बन्धी किन्हीं कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था, लोक सूचना अधिकारी पर जिसने अनुरोध से इन्कार किया था, होगा।

(iv) राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय आबद्धकर होगा।

(v) राज्य सूचना आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में यह भी शक्तियां प्रदान की गई है कि वह सार्वजनिक प्राधिकरणों से अपने निर्णयों की अनुपालना करवाए । शिकायतकर्ता / अपीलकर्ता का मुआवजा दिलवाने की शक्ति का भी प्रावधान है।

III. अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत शक्ति :

(i) जहाँ किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी ने किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने से इन्कार किया है या सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन सूचना के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असदभावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इन्कार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी या किसी सूचना देने में बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, 250 रुपये की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।

(ii) जहाँ किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी किसी युक्तियुक्त कारण के बिना और लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या उसने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असदभावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इन्कार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया हे जो अनुरोध का विषय थी या किसी सूचना देने में बाधा डाली है वहाँ वह ऐसे लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा।

5 हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियन्त्रण में उपलब्ध सूचना प्राप्त करने से सम्बन्धित शिकायतकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों की जांच तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबन्धों तथा नियमों के दृष्टिगत उनका गुण दोष के आधार पर निर्णय करता है। आयोग द्वारा अपीलीय अधिकारियों के विरूद्ध दायर की गई द्वितीय अपीलों का निपटान भी करता है। ऐसे सार्वजनिक प्राधिकरण जो अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरशः पालन नहीं कर रहें है, उन्हें सदृश पग उठाने के लिए निर्दिष्ट करने हेतु संस्तुतियां देने का अधिकार भी अधिनियम की धारा 19 (8) में आयोग को दिया गया है।

6 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अन्तर्गत आयोग को शिकायतें प्राप्त होती हैं। शिकायतें प्राप्त होने पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त या तो जांच के आदेश अथवा उचित कार्रवाई करने जो भी उचित समझे, के आदेश दे सकते है। सरकारी अधिकारी अथवा जन सूचना अधिकारी जिसके विरूद्ध शिकायत की गई हो, से टिप्पणी मांग सकते है तथा जन सूचना अधिकारी और शिकायतकर्ता को अवसर प्रदान कर अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत उचित निर्णय दे सकते हैं। आयोग अधिनियम की धारा–19 के अन्तर्गत अपीलें प्राप्त करता है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त, जन सूचना अधिकारी से टिप्पणी प्राप्त कर तथा अपील में उठाए गए मुददों पर सुनवाई कर अपीलों का निपटान करते है। आयोग द्वारा किसी अपील पर अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व आवेदक को सामान्यतः सुनवाई के लिए अपना मामला प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर दिया जाता है। यद्यपि आयोग में प्राप्त अपीलों तथा शिकायतों के निपटान हेतु अधिनियम में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी आयोग ऐसे मामलों का निपटान तेजी से कर रहा है। आयोग का यही प्रयास रहता है कि ऐसे मामलों का निपटान आयोग में प्राप्ति तिथि के अधिकतम एक मास की अवधि में कर दिया जाए।

7 हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां तथा कार्य निम्नलिखित है :–

क्रम संख्या	पदनाम	शक्तियां एवं कार्य
1	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयोग के कार्यों / गतिविधियों की सामान्य देख–रेख, निर्देशन एवं प्रबन्धन / अपीलों और शिकायतों का निपटान ।
2	राज्य सूचना आयुक्त	अपीलों तथा शिकायतों का संज्ञान तथा उनका निपटान
3	सचिव एवं पंजीयक	आयोग का प्रशासनिक प्रबन्धन, वित्तीय नियन्त्रण तथा राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त / राज्य सूचना आयुक्त की कार्य निपटान में सहायता करना।
4	निजी सचिव राज्य प्रमुख सूचना आयुक्त / राज्य सूचना आयुक्त	सचिवालिय सहायता तथा मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त

		द्वारा प्रदत्त कार्यों का निपटान।
5	रीडर कम एहलमद	आयोग में प्राप्त अपीलों और शिकायतों को प्रक्रिया में लाना तथा मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त द्वारा प्रदत्त कार्य करना।
6	अनुभाग अधिकारी एवं सहायक पंजीयक	आयोग के प्रशासनिक, वित्तीय तथा अन्य कार्यों के निपटान में सचिव एवं पंजीयक की सहायता करना।
7	अधीनस्थ कर्मचारी	आयोग के अधिकारियों की सहायता करना तथा निरीक्षण अधिकारियों द्वारा प्रदत्त कार्य करना।

8 हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा राज्य सरकार की वेबसाइट (www.himachal.nic.in) पर भी निम्न सूचना उपलब्ध करवाई है :—

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग की नियमावली)(सशोंधित 1—4—2009 तक)

(ii) राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक प्राधिकरणों के नाम

(iii) विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों के जन सूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना अधिकारियों के नाम)

(iv) हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग (प्रबन्धन) विनियमन,2008

(v) अपीलों तथा शिकायतों के निर्णय जो हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग में दायर की गई थी ।

9 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्रदेश सूचना आयोग को अधिकृत किया गया है कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन पर प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट तैयार करे तथा राज्य विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिए सरकार को अग्रेषित करें। इस उपबन्ध का अनुसरण करते हुए वर्ष 2009—10 के दौरान हिमाचल प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन की पांचवी रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के समक्ष रखने के लिए हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग द्वारा तैयार की गई है। राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिनियम के कार्यान्वयन के आंकडे रिपोर्ट के आरम्भ में दिये गए हैं ।

अध्याय–3

अधिनियम का कार्यान्वयन

(हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आवेदनों का निपटान)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6, 7 व 11 के उपबन्धों के अनुसार सरकारी प्राधिकरणों से यह अपेक्षा रहेगी कि वे इस उद्धेश्य के लिए नामित जन सूचना अधिकारी के माध्यम से जन साधारण को उनके द्वारा मांगी गई सूचना निर्धारित अवधि में उपलब्ध करवायें। आयोग द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 134 सार्वजनिक प्राधिकरणों को 43,835 आवेदन इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए वर्ष 2009–10 के दौरान प्राप्त हुए थे। अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। इस वर्ष 43,835 आवेदनों के प्रतिकुल पिछले 17,869 आवेदन 124 सार्वजनिक प्राधिकरणों में प्राप्त हुए थे । अतः पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2009–10 के दौरान आर.टी.आई. आवेदनों की संख्या में लगभग 145% वृद्धि हुई है। पर्याप्त वृद्धि से यह प्रतीत होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबन्धों के बारे में राज्य के जन साधारण व्यक्ति की जानकारी में वृद्धि हुई है ।

2 कुल 134 सार्वजनिक प्राधिकरणों में से 8 सार्वजनिक प्राधिकरणों को 1000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, 12 सार्वजनिक प्राधिकरणों को (प्रत्येक को) 501 से 1000 तक आवेदन प्राप्त हुए, 36 सार्वजनिक प्राधिकरणों (प्रत्येक को) 101 से 500 आवेदन प्राप्त हुए तथा शेष 78 सार्वजनिक प्राधिकरणों को इस वर्ष के दौरान (प्रत्येक को) 100 से कम आवेदन प्राप्त हुए। इस वर्ष के दौरान 8 विभागों में जोकि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, सिंचाई एवं स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश अधिनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर में 1000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त किए गए । यह पाया गया कि 41510 आवेदनों में से 43835 आवेदन जोकि कुल प्राप्त आवेदनों का 95 प्रतिशत है को 56 सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्राप्त किया गया । शेष 78 सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा कुल आवेदनों का 5 प्रतिशत से भी कम आवेदन प्राप्त

किए गए थे । इसी अवधि के दौरान विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों को 10,89,504 रूपये का शुल्क प्राप्त हुआ।

3 वर्ष 2009–10 के दौरान प्राप्त आवेदनों की विवरण सारणी निम्न है :–

<u>वर्ष 2009–10 के दौरान विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों से प्राप्त आवेदन</u>

(i)	सार्वजनिक प्राधिकरणों की संख्या जिन्हें 1000 से अधिक आवेदने प्राप्त हुए	8
(ii)	सार्वजनिक प्राधिकरण जिन्हें 501 से 1000 तक आवेदन प्राप्त हुए	12
(ii)	सार्वजनिक प्राधिकरण जिन्हें 251 से 500 तक आवेदन प्राप्त हुए	19
(iii)	सार्वजनिक प्राधिकरण जिन्हें 101 से 250 तक आवेदन प्राप्त हुए	17
(iv)	सार्वजनिक प्राधिकरण जिन्हें 51 से 100 तक आवेदन प्राप्त हुए	18
(v)	सार्वजनिक प्राधिकरण जिन्हें 26 से 50 आवेदन प्राप्त हुए	15
(vi)	सार्वजनिक प्राधिकरण जिन्हें 10 से 25 आवेदन प्राप्त हुए	27
(vii)	सार्वजनिक प्राधिकरण जिन्हें 10 से कम आवेदन प्राप्त हुए	18
सार्वजनिक प्राधिकरणों की कुल संख्या जिन्हें आवेदन प्राप्त हुए		134

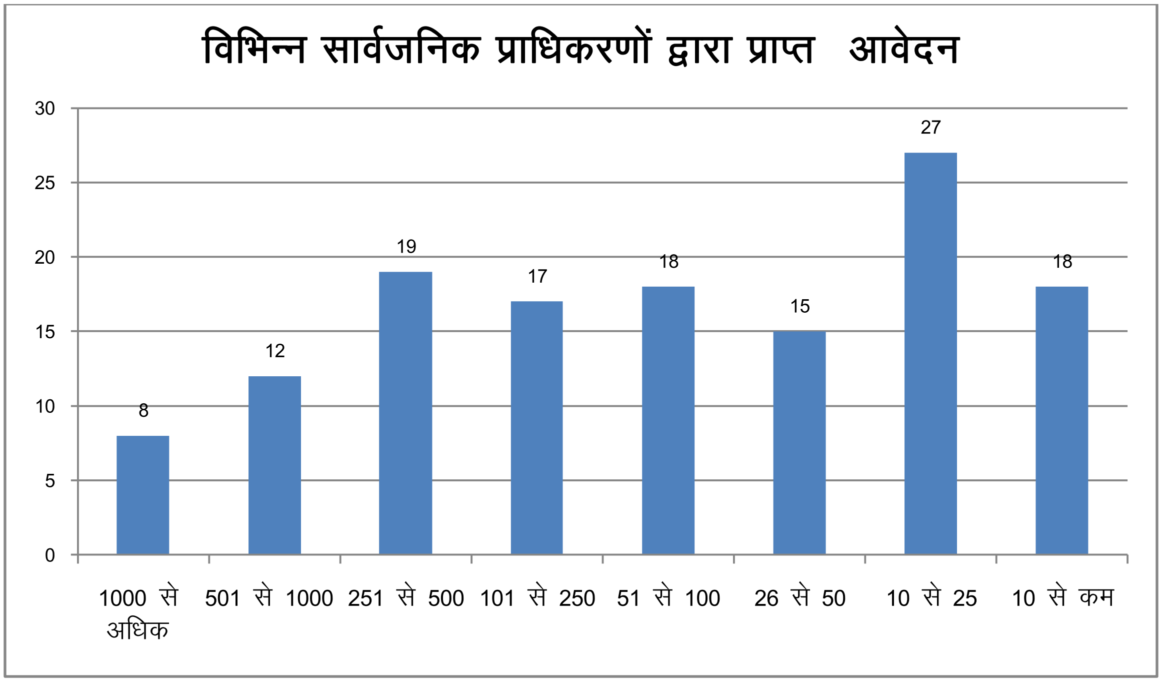

4 विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्राप्त किए/रदद किए आवेदनों/दायर अपीलों/प्राप्त शुल्क का विवरण

क्रमांक	सरकारी विभाग का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	जितने मामले जन सूचना अधिकारियों द्वारा रदद किए गए	प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास दायर अपीलें	राज्य सूचना आयोग के पास दायर अपीलें	ऐसे मामले जहां आयोग द्वारा क्षतिपूर्ति के आदेश दिए	प्राप्त राशी रूपये
1	हि0प्र0उच्च न्यायालय	258	60	13			5564
2	विधान सभा सचिवालय	59		2			968
3	लोकायुक्त	15	5				60
4	राज्य सूचना आयोग	36					732
5	राज्य महिला आयोग	22		1	1		315
6	लोक सेवा आयोग	497		16	1		9009
7	अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड	1288		11	3		23786

8	हि0 प्र0 ई0 आर0सी0	20		1			800
9	मण्डलायुक्त, शिमला	38					659
10	मण्डलायुक्त, कांगडा	64			1		3690
11	मण्डलायुक्त ,मण्डी	41					1731
	हि0प्र0 सचिवालय						
12	प्रशासनिक सुधार	2					20
13	कृषि	10					705
14	वन	51		1			1155
15	लोक निर्माण	175					4981
16	सामान्य प्रशासन विभाग	45			1		1835
17	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	124		3	3		1643
18	गृह	67	3	1	2		3704
19	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	43					774
20	कार्मिक	258	5	7	2		7856
21	वित्त	100					1934
22	परिवहन	19					1119
23	विधि	16		1			831
24	सचिवालय प्रशासन	15			7		484
25	आबकारी एवं कराधान	12					445
26	चुनाव	269					2363
27	गैर पारम्परिक उर्जा स्रोत	9					243
28	सहकारिता	16					375
29	मुद्रण एवं सामग्री	3					770
30	सूचना एवं जन संपर्क	4					82
31	बागवानी	14		1			3331
32	राजस्व	224	31	5			4503

33	आवास	9					338
34	भाषा एवं संस्कृति	55					1669
35	पर्यटन	18					310
36	सैनिक कल्याण	9					300
37	तकनीकी शिक्षा	12	2	3			1380
38	आयुर्वेद	9					140
39	जनजातीय विभाग	6					848
40	उद्योग	22					344
41	श्रम एवं रोजगार	14					350
42	नगर एवं ग्रामीण नियोजन	7					131
	प्रशासनिक विभाग						
43	कृषि	63		3	2		2225
44	पशुपालन	162	4	4			4573
45	आयुर्वेद	335		6			8277
46	होम गार्ड एवं नागरिक सुरक्षा	45					1241
47	पुलिस	2691	65	35	11		52654
48	सहकारिता	548	7	22	2	1	22326
49	प्रारम्भिक शिक्षा	1932	2	68	11	1	44625
50	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	11			1		346
51	आबकारी एवं कराधान	237	1	15	4		4613
52	मत्सय	28					641
53	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	188		1			3898
54	वन संरक्षण	675	6	6	11		47702
55	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	248		14	11	1	7012
56	बागवानी	130		3	2		3660

57	उद्योग	383	14	1	1		17088
58	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	7			1		102
59	सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य	2789		15	5		56125
60	ऊर्जा	13					150
61	सम्पदा	20					183
62	स्वास्थ्य सुरक्षा	7					146
63	दन्त चिकित्सा सेवाएं	33					210
64	श्रम एवं रोजगार	213		3			5716
65	भू समेकन	66			33	3	958
66	भू अभिलेख	29					349
67	मुद्रण एवं सामग्री	35					1727
68	सूचना एवं जन संपर्क	52		5			1418
69	ग्रामीण विकास एव पंचायती राज	2336		16	19	1	54225
70	भू व्यवस्था (शिमला)	92		6	3		9753
71	भू व्यवस्था (कांगडा)	323		8	1		9123
72	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	974		11			15613
73	विद्युत निरीक्षणालय	15					42
74	सैनिक कल्याण	70		2			2591
75	सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी कार्यालय	344	24	16	1		4328
76	लोक निर्माण	9667	105	64	17		194973
77	भाषा एवं संस्कृति	46					1219
78	जनजातीय विकास	10					725
79	तकनीकी शिक्षा	190			2		1590
80	पर्यटन एवं नागरिक उडडयन	106					4430
81	नगर एवं ग्रामीण नियोजन	312		4	1		13634
82	परिवहन	526	4	2			21049

83	कोषागार	47	2				5085
84	शहरी विकास	55		1	2		1122
85	युवा सेवाएं एंव खेल	44					2712
86	पर्वतारोहण संस्थान एवं सम्वर्गी खेलकूद	10					130
87	उच्च शिक्षा	1060		41	27		16500
88	योजना	65		1	1		1190
89	अभियोजन	17					277
	जिलाधीश						
90	ऊना	391			1		5553
91	कांगडा	982		52	3	1	13267
92	कुल्लू	372		8			5588
93	किन्नौर	288					9947
94	चम्बा	411		1	2		7089
95	बिलासपुर	336			2		6743
96	मण्डी	791		7	4		17190
97	शिमला	846		18	2		17196
98	सोलन	842		9	2		8150
99	सिरमौर	302		7			4904
100	हमीरपुर	794		9	1		10573
	सहकारिता/निगम						
101	वित्त निगम	132	14	11	3		4104
102	वन निगम	175			4		7866
103	सामान्य उद्योग निगम	39	7	2	1		1396
104	एच0पी0एम0सी0	9					212
105	राज्य उद्योग विकास निगम	63	25	1			3851
106	एग्रो पैकेजिंग	3					30

107	एग्रो इंडस्टीज	12					336
108	भूतपूर्व सैनिक	22					1184
109	अल्प संख्यक एवं कल्याण निगम	2					20
110	पर्यटन विकास निगम	119		8	4		3914
111	पथ परिवहन निगम	763		10	5		50385
112	नगर निगम शिमला	835		38	14		28331
113	नागरिक आपूर्ति निगम	112		2			3062
114	सहकारिता दुग्ध उत्पादक संघ	15		1	1		1296
115	हिमउर्जा	97		4	1		3456
116	इलेक्टानिक विकास निगम	18		2			175
117	हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम	7					195
118	लघु उद्योग एवं निर्यात निगम	63	25	1			3851
119	पावर निगम	58		2			2062
120	अल्प संख्यक निगम	7					30
121	कांगडा सेंटल को0 बैंक	185	12	10	2		3367
	बोर्ड						
122	पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड	102			1		5165
123	खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड	46			1		1517
124	विपणन बोर्ड	59					1117
125	तकनीकी शिक्षा बोर्ड	22					365
126	शिक्षा बोर्ड	252			1		4859
127	हिमुडा	297	7		2		18250
128	राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	1659	5		5		74702
129	वूल फैडरेशन	6					325
130	सामाजिक कल्याण बोर्ड	11					90

131	लघु उद्योग एवं निर्यात	5					273
	विश्वविद्यालय						
132	हि0प्र0 विश्वविद्यालय शिमला	512		31	7		3294
133	डा0 यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय	280	7	25	5		8049
134	कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर	269		8	6		5622
	कुल	**43,835**	**442**	**706**	**270**	**8**	**10,89,504**

5. उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि अस्वीकृत किए गए 442 मामलों के अलावा विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों के जन सूचना अधिकारियों द्वारा सभी आवेदकों को अपेक्षित सूचना भेज दी गई है। इस प्रकार राज्य में कुल आवेदनों के 1 प्रतिशत मामले ही रिपोर्ट के अनुसार अस्वीकृत किए गए। गत वर्ष अस्वीकृत मामलों की संख्या कुल आवेदन के 1.4 प्रतिशत थी। इस प्रकार रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान अस्वीकृत आवेदनों की संख्या बहुत कम रही है। साल के दौरान आयोग को आवेदकों द्वारा जन सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना नहीं प्रदान करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा भेजी गई अस्वीकृत आवेदनों की वार्षिक रिपोर्ट की शुद्धी पर संदेह प्रकट करता है। अतः सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रमुख को रिपोर्ट के शुद्धीकरण के बारे में सुनिश्चित करना चाहिए ताकि भविष्य में उचित तथ्य ही आयोग को भेजे जा सकें।

6. सार्वजनिक प्राधिकरणों ने यह भी उल्लेख किया है कि 442 आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा की 8(1)(j) के अधीन अस्वीकृत किए गए है। इस अध्याय का पैरा 4 का विवरण यह दर्शाता है कि प्रथम अपीलों की संख्या कुल आवेदनों के 1.6 प्रतिशत से भी कम रही। नामित अपीलीय प्राधिकारियों के पास दायर कुल 706 प्रथम अपीलों के विरूद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग को मात्र 270 अपीलें प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान जन सूचना अधिकारियों से सूचना प्राप्त न होने या विलम्ब से प्रत्युत्तर मिलने सम्बन्धी 445 शिकायतें भी आयोग को प्राप्त हुई। इस प्रकार

वर्ष के दौरान विभिन्न जन प्राधिकारियों के पास दायर कुल 43835 सूचना का अधिकार आवेदनों के विरूद्ध कुल 715 अपीलें/शिकायतें आयोग को प्राप्त हुई है। इस प्रकार आयोग में कुल आवेदनों की लगभग 2.1 प्रतिशत अपीलें/शिकायतें प्राप्त हुई । इन आंकडों से स्पष्ट होता है कि रिपोर्टाधीन वर्ष 2009—10 के दौरान सूचना मांगने वालों के आवेदनों पर राज्य के जन सूचना अधिकारियों की कार्रवाई संतोषजनक रही है।

अध्याय–4

अधिनियम का क्रियान्वयन

(हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग द्वारा अपीलों तथा शिकायतों का निपटान)

वर्ष 2009–10 में हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग में 11 जिलों के लोगों तथा राज्य के बाहर से विभिन्न अपीलार्थियों से 270 अपीलें जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त हुई थीं। जिसमें से 146 अपीलें 3 जिलों शिमला, मण्डी और कांगडा के लोगों द्वारा दायर की गई थी बाकि 124 अपीलें अन्य जिलों के लोगों तथा राज्य के बाहर के लोगों से प्राप्त की गई थी। आयोग द्वारा प्राप्त अपीलों की जिलावार स्थिति निम्न प्रकार से दर्शायी गई है :–

आयोग में प्राप्त अपीलों का जिलावार विवरण :–

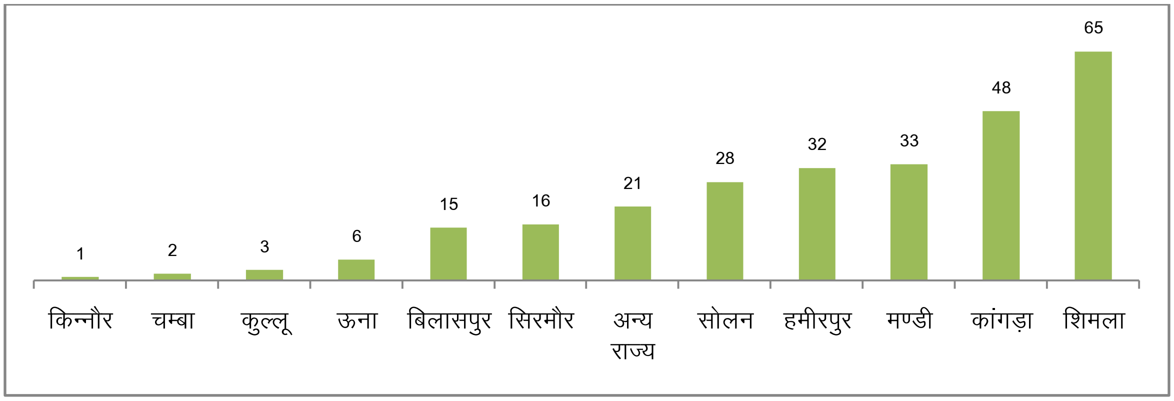

2. वर्ष 2009-10 के दौरान प्राप्त 270 अपीलों के अलावा, 23 अपीलें 01.04.2009 को लम्बित पड़ी थीं। कुल 293 अपीलों में से, वर्ष के दौरान 276 अपीलों पर निर्णय दिए गए तथा 17 अपीलें 31.03.2010 को निर्णय हेतु लम्बित रही। आयोग द्वारा निर्णित 276 अपीलों में से मात्र 39 मामले अस्वीकृत किए गए। अन्य 237 मामलों में जन सूचना अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपेक्षित सूचना प्रदान करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। निर्णित/लम्बित अपीलों का ब्यौरा निम्न सारणी में दिया गया है :–

(i)	वर्ष के दौरान प्राप्त अपीलों का ब्यौरा		
	(क)	1–4–2009 को लम्बित अपीलें	23
	(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त अपीलें	270
	(ग)	वर्ष के दौरान निर्णित अपीलें	276

(घ) 31–3–2010 को लम्बित अपीलें 17

(ii) वर्ष के दौरान निर्णित अपीलों का ब्यौरा :–

(क) एक माह से कम अवधि में निर्णित 197

(ख) एक माह से अधिक पर दो माह से कम अवधि में निर्णित 62

(ग) दो माह से उपर की अवधि में निर्णित 17

(iii) 31–3–2010 को लम्बित अपीलों का ब्यौरा :–

(क) एक माह से कम अवधि की लम्बित अपीलें 14

(ख) एक माह से दो माह तक लम्बित अपीलें 2

(ग) दो माह से उपर लम्बित अपीलें 1

3. उपरोक्त पैरा 2 यह दर्शाता है कि 71 प्रतिशत अपीलों पर राज्य सूचना आयोग द्वारा एक माह में तथा 22 प्रतिशत अपीलों पर दो माह में निर्णय दिये गए थे. इस तरह से कुल अपीलों का 93 प्रतिशत दो महीनों के अन्दर निर्णय दिए गए थे । बाकी सभी अपीलों पर तीन माह में निर्णय दिये गए। इन अपीलों का विवरण हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग की वेव साइट पर उपलब्ध है ।

4. वर्ष 2009–10 के दौरान 270 अपीलों के अलावा 445 शिकायतें अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में प्राप्त हुईं। ये शिकायतें प्रदेश के सभी जिलों तथा प्रदेश के बाहर से प्राप्त हुई। इन में से 257 शिकायतें (57 प्रतिशत से अधिक शिकायतें) शिमला, कांगड़ा, सिरमौर, मण्डी जिलों के शिकायतकर्ताओं द्वारा की गई थी। आयोग में प्राप्त शिकायतों का जिलावार ब्यौरा निम्न चार्ट पर दर्शाया गया है :–

आयोग में प्राप्त शिकायतों का जिलावार ब्यौरा :–

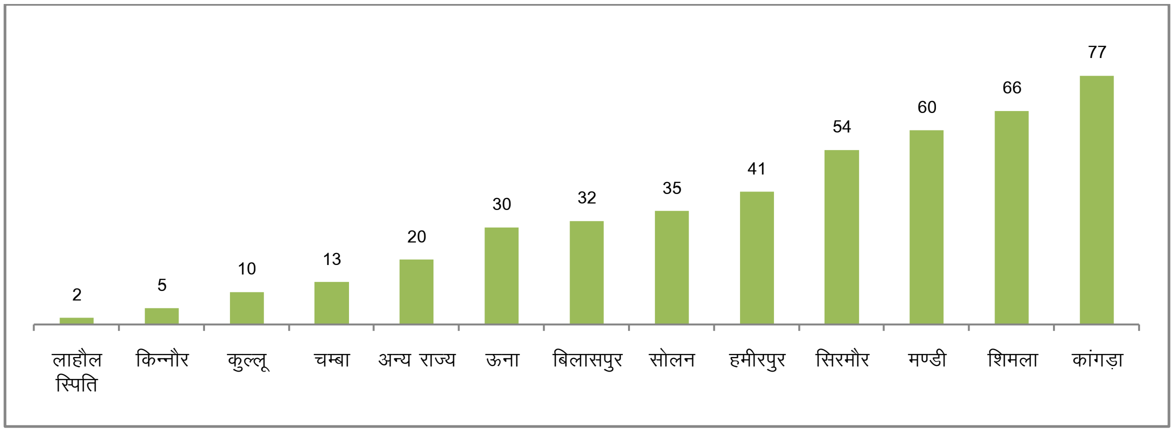

5. वर्ष के दौरान प्राप्त 445 शिकायतों के अलावा 17 शिकायतें 1–4–2009 को लम्बित थीं। कुल 462 शिकायतों में से 418 शिकायतें वर्ष के दौरान निर्णित की गई तथा 44 शिकायतें 31–3–2010 को निपटान हेतु लम्बित रहीं। निर्णित 418 शिकायतों में से केवल 45 अस्वीकृत की गईं। इस प्रकार लगभग 89 प्रतिशत कुल शिकायतों का पर अनुतोष दिया गया। प्राप्त निर्णित तथा लम्बित पड़ी शिकायतों का अवधिवार ब्यौरा निम्नलिखित है :–

प्राप्त निर्णित तथा 31–3–2010 को लम्बित शिकायतों का ब्यौरा।

(i)	वर्ष के दौरान प्राप्त तथा निर्णित शिकायतें		
	(क)	1.4.2009 की लम्बित शिकायतें	17
	(ख)	वर्ष 2009–10 में प्राप्त शिकायतें	445
	(ग)	वर्ष के दौरान निर्णित शिकायतें	418
	(घ)	दिनांक 31–3–2010 को लम्बित शिकायतें	44
(ii)	वर्ष के दौरान निर्णित शिकायतें :–		
	(क)	एक माह से कम अवधि में निर्णित	294
	(ख)	एक माह से अधिक पर 2 माह से कम अवधि में निर्णित	80
	(ग)	दो माह से उपर की अवधि में निर्णित	44
(iii)	31–3–2010 को लम्बित शिकायतों का ब्यौरा :–		
	(क)	एक माह से कम अवधि तक लम्बित	34
	(ख)	एक से दो माह तक की अवधि तक लम्बित	8
	(ग)	दो माह से अधिक अवधि तक लम्बित	2

6. पैरा 5 में दिये गए तथ्य दर्शाते हैं कि 70 प्रतिशत शिकायतों पर हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा एक माह में तथा 19 प्रतिशत शिकायतों पर दो माह में निर्णय दिये गए। इस तरह से कुल शिकायतों का 89 प्रतिशत दो महीने के अन्दर निर्णय दिए गए थे । बाकी 11 प्रतिशत शिकायतों पर तीन माह में निर्णय दिये गए।

7. हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के वर्ष 2009–10 के दौरान समेकित मामलों का विवरण

	अपीलें	शिकायतें	कुल
1.4.2009 को लम्बित	23	17	40
वर्ष के दौरान दायर	270	445	715
कुल	293	462	755
निर्णित	276	418	694
31.3.2010 को लम्बित	17	44	61
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्णित मामले			
	अपीलें	शिकायतें	कुल
1.4.2009 को लम्बित	8	13	21
वर्ष के दौरान दायर	131	273	404
कुल	139	286	425
निर्णित	129	265	394
31.3.2010 को लम्बित	10	21	31
राज्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्णित मामले			
	अपीलें	शिकायतें	कुल
1.4.2009 को लम्बित	15	4	19
वर्ष के दौरान दायर	139	172	311
कुल	154	176	330
निर्णित	147	153	300
31.3.2010 को लम्बित	7	23	30

8. हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने विभिन्न अपीलकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं को मु0 54,500 रूपये के मुआवजे की अदायगी करने हेतु जन सूचना अधिकारियों को निर्देशित किया है। इस वर्ष के दौरान 9 जन सूचना अधिकारियों पर कुल मु0 37,250 रूपये जुर्माना भी किया गया।

9. उक्त अपीलों तथा शिकायतों के अलावा वर्ष 2009–10 में, आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 829 विविध आवेदन/प्रतिवेदन भी प्राप्त हुए जिन्हें सम्बन्धित जन सूचना अधिकारियों/जन प्राधिकारियों को उचित निर्देश के साथ अग्रेषित किया गया। इन आवेदनों/प्रतिवेदनों पर की जाने वाली कार्यवाही पर आयोग द्वारा अनुवर्ति कार्यवाही की गई ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवेदकों को उचित

उत्तर प्राप्त हों। ऐसा न होने की स्थिति में कुछेक आवेदनों/प्रतिवेदनों को आयोग को भेजी गई शिकायतों को अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत लिया गया। वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदनों/प्रतिवेदनों को ब्यौरा निम्नलिखित चार्ट में दिया गया है।

आयोग में प्राप्त विविध आवेदनों/प्रतिवेदनों की संख्या जिन्हें सम्बन्धित जन सूचना अधिकारियों/जन प्राधिकारियों को अग्रेषित किया गया :—

क्रमांक	जिला नाम	प्राप्त आवेदनों/प्रतिवेदनों की संख्या
1.	ऊना	30
2.	कांगड़ा	158
3.	कुल्लू	23
4.	किन्नौर	7
5.	चम्बा	192
6.	बिलासपुर	9
7.	मण्डी	84
8.	लाहौल स्पिति	1
9.	शिमला	98
10.	सोलन	64
11.	सिरमौर	55
12.	हमीरपुर	64
13.	राज्य के बाहर से	44
	कुल जोड़	829

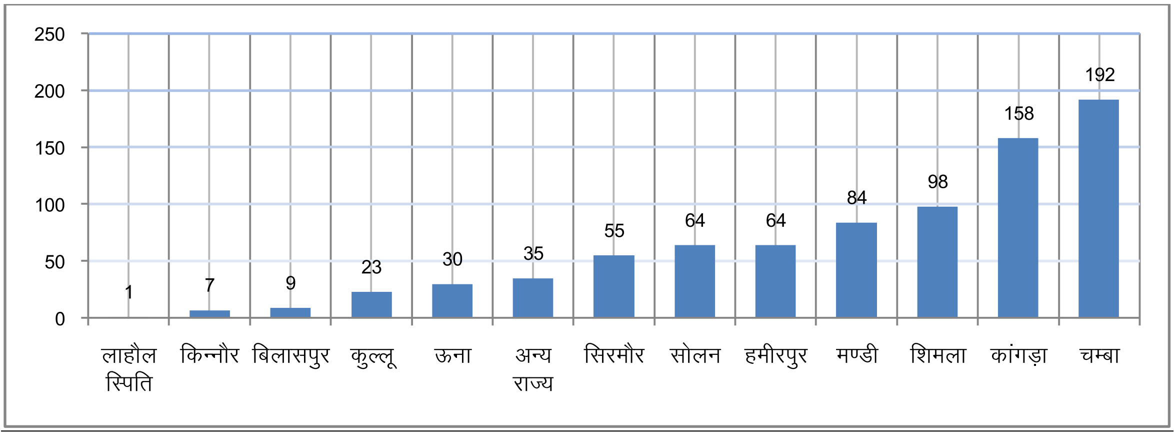

सूचना के अधिकार को ई–गर्वनैंस द्वारा प्रोत्साहित करना– जिला हमीरपुर की सफलता की गाथा

वर्ष 2009–10 के दौरान हमीरपुर जिले ने सूचना का अधिकार को प्रोत्साहित करने के लिए और जनता को बेहतर जन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए परम उदेश्य सहित विभिन्न कदम उठाए । जिलाधीश श्री अभिषेक जैन के नेतृत्व में सूचना प्रौद्योगिकी और ई–गर्वनैंस को सूचना का अधिकार के प्रचार के लिए विभिन्न माध्यमों को उपयोग में लाया गया जैसे की टच स्क्रीन कियोस्क, वेब–एनेवल्ड जी टू सी सूचना का अधिकार सेवाएं, एम–एनेवल्ड सूचना का अधिकार उपयोग एस0एम0एस0 गेटवे इत्यादि ।

हमीरपुर जिला राज्य का प्रथम जिला है जिसने कि उपमण्डल स्तर पर ई–सूचना–कियोस्क स्थापित किए है । नागरिकों को विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सूचना ई–सूचना–कियोस्क द्वारा प्रदान करने के लिए भोरंज उपमण्डल अधिकारी कार्यालय हिमाचल प्रदेश का प्रथम उपमण्डल अधिकारी कार्यालय बन गया है।

जिले में ग्रामीण स्तर तक सूचना का अधिकार केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। जिला स्तर के अलावा 4 उप–मण्डल, 7 तहसील, 6 खण्ड, 229 पंचायत तथा 198 ग्रामीण स्तर पर सूचना का अधिकार केन्द्र स्थापित किए गए हैं । यह केन्द्र नागरिकों को राज्य सरकार की सभी गतिविधियों तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, नियम, प्रपत्र, निर्देशिकाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं । जिले की सभी 229 पंचायत कार्यालयों तथा 197 पटवारखानों में सूचना का अधिकार सम्बन्धी बोर्ड लगाए गए हैं ।

हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमन्त्री द्वारा 12.10.2009 को हमीरपुर जिला की सूचना का अधिकार निर्देशिका का विमोचन किया गया था । यह राज्य की इस तरह की पहली निर्देशिका थी । तद्पश्चात ई–सूचना का अधिकार निर्देशिका हमीरपुर जिला की वेबसाईट पर भी उपलब्ध करवाई गई थी ।

जिले में एम0—आर0टी0आई0 को भी आरम्भ किया गया है जिसमें मोबाइल द्वारा आवेदकों को उनके द्वारा किए गए आवेदनों/अपीलों की स्थिति की जानकारी एस0एम0एस0 द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है । ऑन लाईन पर भी सूचना, सूचना का अधिकार के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई जा रही है । अपीलीय अधिकारियों को ई—आर0टी0आई0 पंजी उपलब्ध करवाई गई है । मामलों को दर्ज करने तथा उनका परिवीक्षक करने के लिए प्रणाली को जिले में लागू किया गया है । सूचना का अधिकार अधिनियम, नियम,विनियम जो हाल में ही संशोधित किए गए हैं को प्रकाशित करके सार्वजनिक कार्यालयों में नागरिकों के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं ।

उपरोक्त किए गए प्रयासों से नागरिकों को सूचना प्राप्त करना तथा सूचना का संग्रहण करना बेहतर हो गया है, प्रोएक्टिव प्रकटीकरण से सूचना का अधिकार आवेदनों में कमी आई है तथा सरकारी कार्यों में पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता में वृद्धि हुई है ।

अध्याय–5
पिछले पांच वर्षों के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 का कियान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005, 12 अक्तूबर 2005 को लागू हुआ। सार्वजनिक प्राधिकरणों ने इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही आरम्भ कर दी थी जैसे कि जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी को नामित करना तथा धारा 4 (1)(बी.) के अन्तर्गत प्रकटीकरण करना। जन सूचना अधिकारियों तथा सहायक जन सूचना अधिकारियों ने सूचना आयोग जिसका गठन 1.3.2006 को हुआ था से पहले ही आवेदकों का आवेदन प्राप्त करना आरम्भ कर दिया था । सार्वजनिक प्राधिकरणों में अक्तूबर 2005 से 2009–10 तक प्राप्त सूचना का अधिकार आवेदन, प्रथम अपीलें तथा प्राप्त फीस का विवरणः

वर्ष	सार्वजनिक प्राधिकरणों की संख्या	कुल प्राप्त आवेदकों की संख्या	जन सूचना अधिकारी द्वारा रदद् किए गए आवेदन	अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्राप्त प्रथम अपीलों की संख्या	प्राप्त राशि
31.03.2007 तक	110	2,654	119	127	2,34,281
2007-08	118	10,105	283	267	6,00,495
2008-09	124	17,869	259	338	8,07,939
2009-10	134	43,835	442	706	10,89,504

2 उपरोक्त विवरण यह दर्शाता है कि विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों में पिछले पांच सालों के दौरान 2654 आवेदनों की अपेक्षा 43835 आवेदन प्राप्त हुए। इस प्रकार इन मामलों में 17 गुणा बढ़ौतरी हुई जोकि इस तथ्य को दर्शाता है कि लोगों में वर्ष

प्रति वर्ष इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है। इसके अतिरिक्त प्रथम अपीलें कम दायर हुई हैं और जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदनों की खारिज करने की प्रतिशतता में वर्ष प्रति वर्ष कमी आई है । जन सूचना अधिकारियों की प्रतिक्रिया भी इन वर्षों में सकारात्मक रही है ।

3 राज्य सूचना आयोग द्वारा 1 मार्च 2006 से 31.3.2010 तक प्राप्त अपीलों का विवरण निम्नलिखित है :–

कुल प्राप्त तथा निर्णित अपीलों 1.3.2006 से 31.3.2010 तक					
अवधि	वर्ष के आरम्भ में लम्बित	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल अपीलें	वर्ष के दौरान निर्णित	वर्ष के अन्त में लम्बित
1.3.2006 से 31.3.2007	-----	32	32	24	8
1.4.2007 से 31.3.2008	8	155	163	125	38
1.4.2008 से 31.3.2009	38	180	218	195	23
1.4.2009 से 31.3.2010	23	270	293	276	17
कुल	-----	*637*		*620*	*17*

4 आयोग में प्राप्त 1.3.2006 से 31.3.2010 शिकायतों का विवरण निम्नलिखित है :–

कुल प्राप्त तथा निर्णित शिकायतें 1.3.2006 से 31.3.2010 तक					
अवधि	वर्ष के आरम्भ में लम्बित	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल शिकायतें	वर्ष के दौरान निर्णित	वर्ष के अन्त में लम्बित
1.3.2006 से 31.3.2007	-----	52	52	47	5
1.4.2007 से 31.3.2008	5	134	139	105	34
1.4.2008 से 31.3.2009	34	204	238	221	17
1.4.2009 से 31.3.2010	17	445	462	418	44
कुल	-----	*835*	-----	*791*	*44*

5 आयोग में प्राप्त अपीलों तथा शिकायतों का 1 मार्च 2006 से 2009–10 तक का विवरण निम्नलिखित हैः–

आयोग में वर्ष बार प्राप्त तथा निर्णित अपीलों तथा शिकायतों का ब्यौरा					
अवधि	वर्ष के आरम्भ में लम्बित	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल	वर्ष के दौरान निर्णित	वर्ष के अन्त में लम्बित
1.3.2006 से 31.3.2007	-	84	84	71	13
1.4.2007 से 31.3.2008	13	293	306	234	72
1.4.2008 से 31.3.2009	72	388	460	420	40
1.4.2009 से 31.3.2010	40	715	755	694	61
कुल		*1480*		*1419*	*61*

6 उपरोक्त विवरण के अनुसार वर्ष 2006–2007 में 84 अपीलें और शिकायतें अपीलकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं से उन 2654 सूचना का अधिकार आवेदन जोकि सार्वजनिक प्राधिकरणों में प्राप्त हुए हैं, कि अपेक्षा में प्राप्त की गई जोकि कुल उन प्राप्त आवेदनों का लगभग 3.2 प्रतिशत है । वर्ष 2007–2008 के अन्तर्गत 293 अपीलें और शिकायतें अपीलकर्ताओं/शिकायकर्ताओं से, 10105 सूचना का अधिकार आवेदन जोकि सार्वजनिक प्राधिकरणों में प्राप्त हुए हैं, कि अपेक्षा में प्राप्त की गई जोकि कुल प्राप्त आवेदनों का 2.8 प्रतिशत है । वर्ष 2008–2009 के अन्तर्गत 388 अपीलें और शिकायतें अपीलकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं से , 17869 सूचना का अधिकार आवेदन जोकि सार्वजनिक प्राधिकरणों में प्राप्त हुए है कि अपेक्षा में प्राप्त हुए हैं जोकि कुल प्राप्त आवेदनों का 2 प्रतिशत है। रिपोर्ट के वर्ष के अन्तर्गत 715 अपीलें और शिकायतें अपीलकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं से 43835 सूचना का अधिकार आवेदन जोकि सार्वजनिक प्राधिकरणों में प्राप्त हुए हैं कि अपेक्षा में प्राप्त की गई है जोकि कुल प्राप्त आवेदनों का लगभग 1.6 प्रतिशत है। अतः आयोग में प्राप्त अपीलों तथा शिकायतों की संख्या में इन पिछले पांच वर्षों में प्रतिशतता के आधार पर 3.2 प्रतिशत से 1.6 प्रतिशत की कमी आई है।

जोकि यह दर्शाता है कि जन सूचना अधिकारियों के कार्य सम्पादन में पिछले पांच वर्षों में वर्ष प्रति वर्ष बदलाव आया है ।

7. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त द्वारा वर्षबार निर्णित मामलों का विवरण निम्नलिखित है :–

(क) 1.3.2006 से 31.3.2007 के दौरान

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्णित मामले			
	अपीलें	शिकायतें	कुल
1.3.2006 को लम्बित	--	--	--
वर्ष के दौरान दायर	32	52	84
कुल	32	52	84
निर्णित	24	47	71
31.3.2007 को लम्बित	8	5	13

(ख) 1.4.2007 से 31.3.2008 के दौरान

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्णित मामले			
	अपीलें	शिकायतें	कुल
1.4.2007 को लम्बित	8	5	13
वर्ष के दौरान दायर	81	92	173
कुल	89	97	186
निर्णित	84	83	167
31.3.2008 को लम्बित	5	14	19
राज्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्णित मामले			
	अपीलें	शिकायतें	कुल
1.4.2007 को लम्बित	--	--	--
वर्ष के दौरान दायर	74	42	116
कुल	74	42	116
निर्णित	41	22	63
31.3.2008 को लम्बित	33	20	53
*पूर्ण न्यायपीठ द्वारा निर्णित मामले :– 4			

(ग) 1.4.2008 से 31.3.2009 के दौरान

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्णित मामले			
	अपीलें	शिकायतें	कुल
1.4.2008 को लम्बित	5	14	19
वर्ष के दौरान दायर	83	131	214
कुल	88	145	233
निर्णित	80	132	212
31.3.2009 को लम्बित	8	13	21
राज्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्णित मामले			
	अपीलें	शिकायतें	कुल
1.4.2008 को लम्बित	33	20	53
वर्ष के दौरान दायर	97	73	170
कुल	130	93	223
निर्णित	115	89	204
31.3.2009 को लम्बित	15	4	19
*पूर्ण न्यायपीठ द्वारा निर्णित मामले :– 4			

(घ) 1.4.2009 से 31.3.2010 के दौरान

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्णित मामले			
	अपीलें	शिकायतें	कुल
1.4.2009 को लम्बित	8	13	21
वर्ष के दौरान दायर	131	273	404
कुल	139	286	425
निर्णित	129	265	394
31.3.2010 को लम्बित	10	21	31
राज्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्णित मामले			
	अपीलें	शिकायतें	कुल
1.4.2009 को लम्बित	15	4	19
वर्ष के दौरान दायर	139	172	311
कुल	154	176	330
निर्णित	147	153	300
31.3.2010 को लम्बित	7	23	30

8. पिछले पांच वर्षों में आयोग द्वारा 1419 अपीलों और शिकायतों का निपटान किया गया। 9 सिविल रिट याचिका हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायलय में हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग के द्वारा निर्णित मामलों के विरूद्ध में दायर की गई । दायर की गई सिविल रिट याचिकाओं का विवरण निम्नलिखित है :—

क्रम संख्या	मामले का शीर्षक / मामले की संख्या	स्थिति
1	हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम राज्य सूचना आयोग सी0डबल्यू0पी0—96 / 09	उच्च न्यायलय में लम्बित
2	हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम श्री सुरेन्द्र सिंह मनकोटिया सी0डबल्यू0पी0—3823 / 2009	उच्च न्यायलय में लम्बित
3	हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम डा0 पी0के0 आदित्य सी0डबल्यू0पी0—2418 / 2010	उच्च न्यायलय में लम्बित
4	जस्टिस एम0 आर0 वर्मा (सेवानिवृत) बनाम राज्य सूचना आयोग सी0डबल्यू0पी0—2070 / 2010	उच्च न्यायलय में लम्बित
5	जस्टिस एम0 आर0 वर्मा (सेवानिवृत) बनाम राज्य सूचना आयोग सी0डबल्यू0पी0—1964 / 2010	उच्च न्यायलय में लम्बित
6	हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम श्री संजय गुप्ता, आई0ए0एस0 सी0डबल्यू0पी0—1050 / 2010	उच्च न्यायलय में लम्बित
7	सुश्री कल्पना ग्रोवर बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार सी0डबल्यू0पी0—4632 / 2010	खारिज क्योंकि मामला वापिस लिया गया ।
8	श्री संजय मण्डयाल बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार सी0डबल्यू0पी0—5418 / 2010	उच्च न्यायलय में लम्बित
9	श्रीमती राम प्यारी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार सी0डबल्यू0पी0—6404 / 2010	उच्च न्यायलय में लम्बित

अध्याय–6

अभिमत एवं संस्तुतियां

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25(1) के अधीन पिछले वर्ष सौंपी गई चतुर्थ रिपोर्ट में, राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सुचारू तथा प्रभावी क्रियान्वयन हेतु हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग द्वारा कुछ संस्तुतियां की गई थी । राज्य सरकार द्वारा इन संस्तुतियों पर कार्रवाई की गई है । राज्य सरकार द्वारा आयोग की अभिमत तथा संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है । कुछ संस्तुतियों जिनपर आगामी कार्रवाई राज्य सरकार के स्तर पर अपेक्षित है, इस रिपोर्ट में अभिमत तथा संस्तुतियों के रूप में सम्मिलित की जा रही है ।

2. आयोग द्वारा राज्य सरकार के सार्वजनिक प्राधिकरणों से वर्ष 2009–10 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदकों से प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया के बारे में प्राप्त हुई रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया जिसमें पाया गया कि कुल 43,835 आवेदन अधिनियम के अन्तर्गत सूचना लेने के लिए प्राप्त हुए जिनमें से मात्र 442 मामले जन सूचना अधिकारियों द्वारा अस्वीकृत किए गए । इसके अतिरिक्त नामित अपीलीय प्राधिकारियों के पास 706 प्रथम अपीलें दायर हुई तथा 442 शिकायतें व 270 द्वितीय अपीलें आयोग में प्राप्त हुई । नामित अपीलीय प्राधिकारियों के पास इतनी कम मात्रा में प्राप्त प्रथम अपीलों तथा आयोग के पास दायर कम शिकायतों/द्वितीय अपीलों से जाहिर है कि राज्य में विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों के जन सूचना अधिकारियों के प्रत्युत्तर से आवेदक आमतौर पर संतुष्ट रहे । आयोग के पास प्राप्त हुई अपीलों तथा शिकायतों का निर्णय करते हुए यह पाया गया कि अधिकतर शिकायतें तथा अपीलें जन सूचना अधिकारियों के विलम्ब से उत्तर प्राप्ति से सम्बन्धित थी । अधिकांश मामलों में विलम्ब का कारण जन सूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों की जानकारी न होना पाया गया। इसके अतिरिक्त सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कार्यक्षेत्र के बारे में आवेदकों को

जानकारी न होना भी पाया गया । बड़ी संख्या में आवेदकों/अपीलकर्ताओं द्वारा राज्य सूचना आयोग से अपनी शिकायतों में सुधार की अपेक्षा भी की गई ।

3. प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा चतुर्थ रिपोर्ट की संस्तुतियों पर की गई कार्यवाही द्वारा यह महसूस किया कि हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला तथा क्षेत्रीय/जिला प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा जन सूचना अधिकारियों, अपीलीय प्राधिकारियों तथा राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के लिए 28 प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशालाएं संचालित किए गए। वर्ष 2008–09 के दौरान संस्थान द्वारा 14 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए । हालांकि वर्ष के दौरान संचालित किए गए प्रशिक्षण कार्यकमों की संख्या गत वर्ष के दौरान किए गए कार्यकमों से दोगुणा रहे तथापि राज्य में जन सूचना अधिकारियों और सहायक जनसूचना अधिकारियों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान द्वारा आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या को कम ही कहा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम 2006 के अनुसार राज्य सरकार को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन एकत्रित शुल्क को अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के प्रचार के लिए व्यय किया जाना अपेक्षित है। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा कार्यवाही रिपोर्ट में यह बताया है कि यह मामला वित्त विभाग से उठाया गया था लेकिन कोई भी सकारात्मक प्रतिकिया प्राप्त नहीं हुई सिवाय इसके कि सरकार द्वारा पहले ही यह निर्देश दिये गए है कि प्रशिक्षण पर स्वीकृत बजट से ही व्यय किया जाएगा । प्रशासनिक सुधार विभाग को चाहिए कि अधिनियम तथा हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 के उपबन्धों को कार्यान्यवन के लिए ठोस कदम उठाएं ।

4. आयोग द्वारा अपनी पिछली रिपोर्टों में सरकार को निरीक्षण तथा ए–5 और ए–6 आकार के कागजों पर सूचना देने के लिए अतिरिक्त फीस को कम करने की संस्तुति की गई थी तथापि यह संस्तुति स्वीकार नहीं की गई लेकिन आयोग संस्तुति को अस्वीकार करने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा दिए गए कारणों से सहमत नहीं है । फीस कम करने की मांग सरकार द्वारा ए–4 आकार तथा उससे छोटे आकार के कागजों पर सूचना प्रदान करने की अतिरिक्त फीस जो कि `10/– से `2/– प्रति पृष्ठ की गई है के पश्चात् ही उठाई गई है । इन परिस्थितियों में आयोग दोबारा ए–5

और ए–6 आकार के कागजों पर सूचना प्रदान करने तथा आवेदकों को निरीक्षण करने की अतिरिक्त फीस को कम करने की संस्तुति करता है।

5. कुछ शिकायतकर्ताओं/अपीलकर्ताओं द्वारा बताया गया की ए–5 और ए–6 आकार के कागजों की छायाप्रति ए–4 आकार के कागज पर की जा सकती है। परिणामस्वरूप प्रशासनिक सुधार विभाग से यह आग्रह है कि वह आवेदकों के सुझाव पर विचार करें तथा जन सूचना अधिकारियों को यह निर्देश दें कि वह ए–5 और ए–6 आकार के कागजों की सूचना की छायाप्रति ए–4 आकार के कागजों पर जहां पर सम्भव हो प्रदान करें। ताकि आवेदक वांछित सूचना/अभिलेख जो ए–5 और ए–6 आकार के कागजों पर हो को ए–4 आकार के कागजों की फीस पर प्राप्त कर सकें।

6. कई शिकायतों तथा अपीलों में यह पाया गया कि आवेदकों द्वारा मांगी गई सूचना केवल ए–4 आकार के एक या दो पृष्ठों की थी। इन मामलों में जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदकों से मु0 ` 2/– या `4/– जमा करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 के अनुसार निवेदन किया जाता है। इस प्रकार के मामलों में जन सूचना अधिकारी को प्रारम्भिक चरण पर बिना अतिरिक्त फीस मांगे आवेदक को सूचना प्रदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए । इस प्रकार जन सूचना अधिकारियों को आई0पी0 ओ0 को प्राप्त करने, जमा करवाने, आवेदकों की मांगी गई सूचना की छायाप्रति भेजने बारे पत्र लिखने के कार्य में कमी आएगी ।

7. आयोग द्वारा अपनी पिछली रिपोर्टों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1)(ए) के उपबन्धों को कार्यान्वयन करने के लिए समयबन्ध कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देने के लिए संस्तुति की गई थी कि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण निम्न कार्य करेगें –

- इसके समस्त रिकार्ड को व्यवस्थित, विधिवत रूप में इस क्रम से रखा जाए जिससे इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना की प्राप्ति सरल हो तथा
- सुनिश्चित किया जाए कि समस्त रिकार्ड जो कम्प्यूटरीकरण के लिए उपयुक्त है उसे समुचित समय तथा संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार, कम्प्यूटरीकरण करवा दिया जाए ताकि नेटवर्क के माध्यम से देश की विभिन्न कम्प्यूटर पद्धतियों द्वारा ऐसे रिकार्ड को प्राप्त करने में सरलता हो।

8. राज्य सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की उपरोक्त धारा पर की गई कार्यवाही आवश्यकता अनुसार नहीं है लेकिन यह प्रशंसनीय है कि काफी विभागों ने अपनी वैवसाइटों द्वारा आम जनता को ई– सेवा प्रदान करनी शुरू कर दी है तथा ई – समाधान द्वारा भी शिकायतों को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं । उपरोक्त धारा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है तथापि सूचना प्रौधागिकी विभाग को समयबद्ध योजना बनानी चाहिए जैसी कि पिछली रिपोर्टों में संस्तुति की गई है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए पहले की गई संस्तुति को दोहराया जाता है।

9. यह भी महसूस किया है कि प्रशासनिक सुधार विभाग ने कई बार सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1)(बी)के उपबन्धों के कार्यान्वयन करने के लिए निर्देश दिये हैं तथा सचिवों की कमेटी में भी इस बारे चर्चा की गई है। तथापि यह भी महसूस किया है कि ज्यादातर सार्वजनिक प्राधिकरणों ने सत्रह बिन्दुओं पर प्रकटीकरण नहीं दिया है। यह सार्वजनिक प्राधिकरणों की वैवसाइट देखने पर सत्यापित किया जा सकता हैं । अतः प्रशासनिक सुधार विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1)(बी) के कार्यान्वयन करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए तथा सभी राज्य के सार्वजनिक प्राधिकरणों को इसे कार्यान्वित करना चाहिए ।

10. सार्वजनिक प्राधिकरणों से प्राप्त वार्षिक रिपोर्ट यह दर्शाती है कि आठ सार्वजनिक प्राधिकरणों में 1000 अधिक से आवेदन सूचना प्राप्त करने के लिए प्राप्त किये गए, ये विभाग हैं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड लि0 और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर। इन विभागों में आवेदनों की संख्या में बढ़ौतरी ही होगी । इन विभागों में अधिक कार्य होने के कारण

इन्हें सूचना का अधिकार कक्ष को मजबूत करने की आवश्यकता होगी ताकि आवेदकों को उत्तर देने में देरी न हो । इसलिए यह संस्तुति की जाती है कि इन आठ विभागों में सूचना का अधिकार कक्ष को मजबूत करना चाहिए जिससे आवेदकों को अधिनियम अनुसार समयबद्ध सीमा में सूचना उपलब्ध करवाई जा सके ।

11. प्रशासनिक सुधार विभाग से चतुर्थ–रिपोर्ट द्वारा विभिन्न कार्यालयों में अवधिक निरीक्षण करने के लिए आग्रह किया गया था जिससे यह निश्चित किया जा सके कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबन्धों का कार्यान्वयन प्रभावशाली तरीके से किया जा रहा है तथा संस्तुतियों का कार्यान्वयन करने के लिए विभाग द्वारा कई विभागों को प्रशासनिक निर्देश दिए गए हैं । तथापि सूचना का अधिकार पंजीयो का निरीक्षण करना बहुत आवश्यक है जिससे आवेदनों तथा प्रथम अपीलों को समय पर निपटाया जा सके। इस प्रकार के कदम शिकायतों तथा द्वितीय अपीलों को आयोग में कम संख्या में दायर होने के लिए सहायक होंगे। परिणामस्वरूप प्रशासनिक सुधार विभाग से एक बार फिर आग्रह है कि विभिन्न विभागों में जो कार्य जन सूचना अधिकारियों को दिये गए हैं और प्रथम अपीलों के निपटाने के लिए अवधिक निरीक्षण की योजना को अन्तिम रूप दें तथा विभागों में उसे भिजवाए। इस प्रकार की योजना को कार्यालय मैनुअल जिसे प्रशासनिक सुधार विभाग संशोधन करने जा रहा है में भी समाविष्ट करना चाहिए ।

12. शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्था के चुनाव जो हाल ही में हुए हैं को केन्द्रीय सरकार, पंचायती राज मन्त्रालय द्वारा नव निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध करवाता है। सम्बन्धित विभाग को इस बारे परामर्श दिया जाता है कि नव–निर्वाचित सदस्यों के प्रशिक्षण में एक अध्याय सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा हि0 प्र0 सूचना का अधिकार नियम, 2006 का भी होना चाहिए जिससे वे सूचना सार्वजनिक प्राधिकरणों से प्राप्त करने के

तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें । इस प्रकार आम जनता में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबन्धों की जानकारी उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा मिल सकेगी ।

13. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और हि0 प्र0 सूचना का अधिकार नियम, 2006 के उपबन्धों के प्रचार तथा प्रसार के लिए हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। इसके लिए स्कूलों के विद्यार्थी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अतः यह संस्तुति की जाती है कि माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा हि0 प्र0 सूचना का अधिकार नियम, 2006 के उपबन्धों पर एक अध्याय बना कर उनके पाठयक्रम में सम्मिलित किया जाए। यह कदम सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उद्‌दश्येों और उपबन्धों की जानकारी प्रदान करने का स्थाई माध्यम निमित हो सकता है।

14. वर्ष के दौरान कुछ विभागों ने हि0 प्र0 उच्च न्यायालय में हि0 प्र0 सूचना आयोग के निर्णयों के खिलाफ सिविल रिट याचिकाऐं दायर की हैं। इन मामलों में यह महसूस किया गया कि जन सूचना अधिकारी को आवेदक द्वारा मांगी गई रूटीन सूचना प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं तथा इन मामलों में कोई भी कानूनी बिंदु नही आता है जिसे उच्च न्यायलय में दाखिल किया जाए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इस तरह के बिना महत्व के मुकदमों का परित्याग कर देना चाहिए । अतः यह संस्तुति की जाती हैं कि सूचना आयोग के निर्णय के खिलाफ में रिट दायर करने का निर्णय राज्य सरकार में उच्च स्तर पर लिया जाना चाहिए जिससे सारहीन रिट याचिकाओं का परित्याग किया जा सके ।

15. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (आई) के अनुसार नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किये गए कार्यों का निरीक्षण करने का अधिकार है लेकिन हि0 प्र0 सूचना का अधिकार नियम 2006 में निरीक्षण हेतू

फीस लेने का तथा प्रक्रिया का कोई प्रावधान नहीं है। अतः यह संस्तुति की जाती है कि हि0 प्र0 सूचना का अधिकार नियम, 2006 में उचित प्रावधान को सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि सूचना लेने वाला राज्य के सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण कर सके।